प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 260 / 2023

अनवान : –

1. सुरजन पुत्र इन्द्र जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

–वादी

बनाम्

1. कपूर पुत्र इन्द्र जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
2. बलवीर सिंह पुत्र भागसिंह जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
3. मेवा सिंह पुत्र माया देवी जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
4. रमना बाई पुत्री माया देवी जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
5. सुखपाल कौर पुत्री भागसिंह जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
6. सेवा सिंह पुत्र माया देवी जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 10.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खसरा न0 159 की 13.11 बीघा, ख0न0 174 की 16.12 बीघा, ख0न0 522 की 7 बीघा, ख0न0 559 की 8.03 बीघा, ख0न0 561 की 7.09 बीघा, कुल 52.15 बीघा भूमि में से सुरजाराम पुत्र मामराज जाति मेघवाल साकिन जबरासर तहसील नोहर इन खसरों में से ख0न0 159 की 13.11 बीघा भूमि दिनांक 23.9.1982 को सुरजाराम पुत्र इन्द्र जाति मेघवाल साकिन डबवाली को बैयनामा करवा दिया तथा मुताबिक बैयनामा के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खसरा न0 159 की 13.11 बीघा भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार हुआ। रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खसरा न0 174 की 16.12 बीघा ख0न0 552 की 7 बीघा, ख0न0 559 की 8.03 बीघा ख0न0 561 की 7.09 बीघा भूमि सुरजाराम पुत्र मामराज जाति मेघवाल साकिन जबरासर तहसील नोहर ने अपने नाम शेष रही उक्त कृषि भूमि चारा खसरों की 39.04 बीघा भूमि दिनांक 23.09.1982 को सुरजन, कपुर व भाग पि0 इन्दर जाति बावरी साकिन डबवाली को बैयनामा करवा दिया तथा मुताबिक बैयनामें के अनुसार सुरजन, कपुर व भाग पि0 इन्दर के नाम कृषि भूमि दर्ज हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भागसिंह पुत्र इन्द्र जाति बावरी फौत हो चुका है तथा उनकी एक लड़की माया देवी भी फौत हो चुकी है तथा भागसिंह पुत्र इन्द्र के नाम दर्ज कृषि भूमि उनके पुत्र, पुत्री व भानजा एवं भानजी के नाम दर्ज हो चुकी है तथा वर्तमान जमाबंदी में उपरोक्त कृषि भूमि मुताबिक बैयनामा के अनुसार दर्ज नही हुई जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि बैयनामा के अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी वादग्रस्त भूमि सम्मलित खाते में दर्ज कर दी गई हैं इसलिए वादी वादग्रस्त कृषि भूमि मुताबिक बैयनामा के अनुसार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 510/498 के ख0न0 159 की 3.4290 हैक्ट भूमि ख0न0 174 की 4.2000 हैक्ट भूमि ख0न0 572 की 1.7700 हैक्ट ख0न0 559/1 की 2.0260 हैक्ट ख0न0 561 की 1.8840 हैक्ट कुल 13.3420 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 तथा 6 ने दिनांक 05.08.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में जरिये दस्तवरदारी उप पंजीयक नोहर से तस्दी करवा दी व अपना हिस्सा प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 अपना हक व हिस्सा मुताबिक बैयनामा एवं दस्तवरदारी के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि निम्न प्रकार से दर्ज करवाकर जमाबंदी संशोधित करवा पाने के अधिकारी है:–

1. रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 510/498 के ख0न0 159 की 3.4260 हैक्ट भूमि वादी के पास रहेगी।

2. रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 510/498 के ख0न0 174 की 4.2000 हैक्ट भूमि ख0न0 572 की 1.7700 हैक्ट ख0न0 559/1 की 2.0620 हैक्ट ख0न0 561 की 1.8840 हैक्ट कुल 9.9160 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 एवं 6 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 व 5 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में दस्तबरदारी मेवासिंह, रमनाबाई, सेवासिंह , प्रमाणित प्रतिलिपी बैयनामा दिनांक 23.09.1982 एवं प्रमाणित प्रतिलिपी बैयनामा दिनांक 26.09.1982 ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि खाता संख्या 510/498 के ख0न0 159 की 3.4260 भूमि वादी की जरिये बैयनामा खरीद शुदा भूमि है तथा ख0न0 522 की 1.7700 हैक्ट ख0न0 559/1 की 2.0620 हैक्ट ख0न0 561 की 1.8840 हैक्ट कुल 9.9160 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 की संयुक्त रूप से जरिये बैयनामा खरीदशुदा भूमि है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उक्त वाद भूमि सभी खसरों की संयुक्त रूप से दर्ज हो गयी है। अतः राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बैयनामा दर्ज की जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 510/498 के खसरा न0 159, 174, 522, 559/1, 561 की कुल 13.3420 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 23.09.1982 से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि में से खसरा न0 159 की वाद भूमि सुरजा पुत्र मामराज द्वारा वादी ने जरिये बैयनाम खरीद की है तथा बैयनामा दिनांक 23.09.1982 से स्पष्ट है कि खसरा न0 174, 522, 559, 561 की वाद भूमि सुरजा वल्द मामराज से सुरजन, कपूर व भागसिंह पुत्र इन्दर सिंह द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तबरदारी से स्पष्ट है कि मेवासिंह, रमना बाई, सेवासिंह द्वारा अपना हक बलवीर सिंह पुत्र भागसिंह के पक्ष में त्याग कर दिया गया है। वर्तमान जमाबंदी से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि अलग अलग दर्ज नही होकर संयुक्त खाता में दर्ज हो गयी है। वादी ने कथन किया है की मुताबिक बैयनामा वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें वादी के कथन को प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल पेश कर स्वीकार किया गया है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 5 के द्वारा स्वीकार करने तथा एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 510/498 के ख0न0 159 की 3.4260 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 510/498 के ख0न0 174 की 4.2000 हैक्ट भूमि ख0न0 522 की 1.7700 हैक्ट ख0न0 559/1 की 2.0620 हैक्ट ख0न0 561 की 1.8840 हैक्ट कुल 9.9160 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 2/9 हिस्सा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 एवं 6 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जबरासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 260/2023

अनवान : –

1. सुरजन पुत्र इन्द्र जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

–वादी

बनाम्

1. कपूर पुत्र इन्द्र जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
2. बलवीर सिंह पुत्र भागसिंह जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
3. मेवा सिंह पुत्र माया देवी जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
4. रमना बाई पुत्री माया देवी जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
5. सुखपाल कौर पुत्री भागसिंह जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
6. सेवा सिंह पुत्र माया देवी जाति बावरी निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गतधारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 260 सन 2023 निर्णय दिनांक 10.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 510/498 के ख0न0 159 की 3.4260 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 510/498 के ख0न0 174 की 4.2000 हैक्ट भूमि ख0न0 522 की 1.7700 हैक्ट ख0न0 559/1 की 2.0620 हैक्ट ख0न0 561 की 1.8840 हैक्ट कुल 9.9160 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 एवं 6 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:23 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– जबरासर